

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

दूरभाष सं. 0141-2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141-2222403 ईमेल : वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : एफ.3 (न)विविध/का.प्र./स्थानि/2021/कोविड-19/100638 दिनांक : 21.05.21


कार्यालय आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 2435 दिनांक 19.04.2021 एवं आदेश दिनांक 25.04.2021 को अतिक्रमित करते हुये, कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु नगर निकायों के स्तर पर किये जा रहे कार्यों की सतत मोनेटरिंग/सुपरविजन किये जाने एवं सूचनायें प्राप्त करने हेतु निदेशालय स्तर पर गठित कन्ट्रोल रूम में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की साप्ताहिक रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जाती है :-

क्रम सं.	(प्रथम पारी प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक)	(द्वितीय पारी दोपहर 3.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक)	सप्ताह में कार्य दिवस
1.	1. श्री ओ.पी. काला, अधिशाषी अभियन्ता (9314874191) 2. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता (विद्युत) (8963089956) 3. श्री नीरज गोठवाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर (8741923021)	1. श्री संजय देवल, सहायक निदेशक (सतर्कता) (9413341411) 2. श्री अशोक मीणा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (8870087087) 3. श्री टिल्लू कुमावत, कम्प्यूटर ऑपरेटर (9829489715)	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार
2.	1. श्रीमती कविता चौधरी, सचिव, भर्ती आयोग (9829376452) 2. श्री रमेश चन्द शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) (8107517397) 3. श्री नितिन, कम्प्यूटर ऑपरेटर (7611960665)	1. नितिन शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता (9351996291) 2. श्री डी. डी. सकरवाल, संयुक्त निदेशक (आयोजना) (9314096476) 3. श्री दीपक जांगिड़, कम्प्यूटर ऑपरेटर (9649525651)	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार

उपरोक्त अधिकारीगण/कार्मिक निदेशालय में उपस्थित होकर निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के निर्देशानुसार आवश्यक प्रकृति के कार्यों का सम्पादन/निस्तारण करेंगे एवं आवश्यकतानुसार निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के निर्देशानुसार अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों को बुला सकेंगे। उपरोक्त अधिकारी अपने अधीन कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ उपस्थित रहेंगे। उक्त कन्ट्रोल रूम (सातो दिवस) राजकीय अवकाशों में भी प्रभावी रहेगा। विभाग में स्थापित स्मार्टराज कॉल सेन्टर (टोल फ्री नं. 1800 180 6127) भी उक्त कन्ट्रोल रूम के अधीन कार्य करेगा। उपरोक्त टीमों में से किसी अधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में आपस में समन्वय स्थापित करते हुये, कार्य सम्पादित किया जावेगा।

उक्त आदेश दिनांक 22.05.2021 (शनिवार) से आगामी आदेशों तक प्रभावी होंगे।


(दीपक भन्दी)

निदेशक विशिष्ट सचिव

क्रमांक : एफ.3 (न)विविध/का.प्र./स्थानि/2021/कोविड-19/100639 - दिनांक : 21.05.21

100876

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- 2 निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
- 4 निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
- 5 आयुक्त/अधिशिषी अभियन्ता, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
- 6 उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
- 7 सम्बन्धित अधिकारीगण/कार्मिक, निदेशालय को पालनार्थ।
- 8 कार्यालय प्रस्थापना अनुभाग, निदेशालय।
- 9 प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईटर पर अपलोड करने हेतु।
- 10 उप निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय।
- 11 नोटिस बोर्ड, निदेशालय।
- 12 सुरक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक